

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.- 5/विविध-14-64/2016:-

राँची, दिनांक:-

आदेश

भारत सरकार से प्राप्त पत्रों के Monitoring, Execution and Updating the Status के संबंध में कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र संख्या 1503 /CS दिनांक 14.10.2016, के आलोक में श्री अशोक कुमार मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, राँची को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-

राँची दिनांक:-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-

राँची दिनांक:-

प्रतिलिपि:- उप सचिव, मुख्य सचिव का कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-

राँची दिनांक:-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II / सभी विभागीय संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

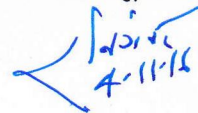
ज्ञापांक:-

3481

राँची दिनांक:-

04-11-16

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।